न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–328/17

1 मोहन उर्फ मुना पुत्र श्री रेखाराम जाति कुम्हार, निवासी ग्राम खण्डेल, तहसील फुलेरा, मु. सांभरलेक, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत खण्डेल, तहसील सांभरलेक जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत खण्डेल।
2. कैलाश पुत्र स्व. गणेश, जाति कुम्हार, निवासी खण्डेल तहसील सांभरलेक।
3. दिनेश पुत्र स्व. गणेश, जाति कुम्हार, निवासी खण्डेल, तहसील सांभरलेक।
4. गीधाराम पुत्र स्व. श्रीरेखाराम, जाति कुम्हार, निवासी खण्डेल तहसील सांभरलेक।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 18.10.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक के आदेश दिनांक 05.07.2017 (प्रकरण संख्या 1/09) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 व 3 कैलाश, दोनों की ओर से अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण स्व. रेखाराम के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है जिनकी परिवारिक वंशावली रेखाराम के तीन पुत्र मोहन गीधा, गणेश, गणेश के फौत होने पर उसके दो लडके दिनेश व कैलाश है, मोहन, बालू पुत्र मनसुखा के गोद चला गया और उसकी मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति में उसका नामान्तरकरण खोला गया व गोद चले जाने से रेखाराम की सम्पत्ति में उसका मोहन का कोई हित निहित नही रहा है फिर भी मोहन ने राजस्व कर्मचरियों से साज कर स्व. रेखाराम की सम्पति में नामान्तरकरण संख्या 175 के द्वारा अपने नाम नामान्तरकरण खुलवा लिया इन तथ्य की अपील प्रार्थना पत्र पेश होने पर पक्षकारों की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2017 को नामान्तरकरण संख्या 175 मोहन पुत्र रेखाराम के नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ करने के आदेश पारित कर दिये जो विधि विधान व विधि के सुस्थापित नियमों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय व अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते समय विधि द्वारा सुस्थापित नियमों व सिद्धान्तों के विपरित जाकर आदेश पारित किया इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 05.07.2017 निरस्तनीय व अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित करते समय तथ्यों का कानूनन सही रूप से, सही ढंग से विश्लेषण न कर अपने आदेश में कोई स्पष्ट निष्कर्ष व्यक्त न कर अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश पारित किया है जबकि स्व. रेखाराम के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट वारिस होने या न होने दत्तक चले जाने का विधि व तय का मिश्रित प्रश्न है जो तथ्य सिविल न्यायालय के द्वारा ही तय किया जा सकता है व हिन्दू उत्तराधिकार के विधिक प्रावधानों के अनुसार एक बार जो कोई अचल सम्पत्ति किसी व्यक्ति में कूननन निहित हो जाती है उसको किसी अन्य व्यक्ति के गोद चले जाने से निरर्हित नही किया जा सकता है व आज भी अपीलान्ट मोहन उर्फ मुना के सभी सरकारी रिकार्ड राशन कार्ड, पहचान पत्र में उसके पिता का नाम रेखाराम ही दर्ज है जिसको आज तक रेस्पोडेन्ट ने चैलेन्ज नही किया है। उन्होने कथन किया है कि बालू की सम्पत्ति में अपीलान्ट का नाम दर्ज हो जाने से अथवा उक्त प्रकरण में अपीलान्ट मोहन को दत्तक पुत्र बालू दर्ज करने से उसकी स्व. रेखाराम की सम्पत्ति में से नाज हजफ किया जाना कानूनन गलत व अन्योचित है क्योंकि जब तक किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा मोहन को बालू का दत्तक पुत्र घोषित नही कर दिया जाता उसको बालू का दत्तक पुत्र नही कहा जा सकता है इसलिय अधीनस्थ न्यायालय ने वारिस होने या न होने या गोद चले जाने के तथ्यों के आधार अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त सम्पत्ति को लेकर उक्त अपील के साथ ही पैरेरल प्रोसिडिंग दावा कैलाश बनाम मोहन वगैरहा का वाद घोषण व स्थाई निषेधाज्ञा वाद संख्या 11/09 विचाराधीन है जिसके मोहन अपीलान्ट ने काउन्टर क्लेम कर रखा है तथा इस प्रकार स्व. रेखाराम की सम्पत्ति को लेकर कैलाश व दिनेश द्वारा एक अन्य सिविल वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश सांभरलेक के यहॉ कैलाश बनाम मोहन वगैरह प्रकरण संख्या 38/10 दावा घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व टी आई प्रार्थना पत्र 47/10 प्रस्तुत कर रखा है जिसमें टी.आई. प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है, इन सभी तथ्यों को अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने बहस के तर्को में उठाया था व अधीनस्थ न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के तथ्यों, तर्को का नजरअंदाज कर रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को ही सही मानकर व अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार व स्वविवेकाधिकार का उचित प्रयोग न कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर किसी प्रकार की कोई बहस नही सुनी व अपील प्रकरण को मियाद में शुमार फरमाकर गलत निर्णय पारित कर कानूनन भारी भूल की है और आदेश में यह लिखकर कि अधिवक्ता पक्षकार ने सहमति प्रकट कर मूल अपील के निस्तारण के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया जावें लिखकर इतिश्री कर दी

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जबकि वास्तविक्ता यह है कि धारा 5 मियाद अधिनियम पर किसी प्रकार की कोई बहस नही हुई अधीनस्थ न्यायालय में निर्णित अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य थी, अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के निस्तारण में जो निर्णय पारित कर आदेश दिनांक 05.07.2017 पारित किया है, वह कानूनन निरस्तनीय व अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 को निरस्त फरमाया जावे एवं पुनः राजस्व रिकार्ड में मोहन पुत्र रेखाराम का नाम दर्ज फरमाने के आदेश प्रदान करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेखाराम का पुत्र अपीलान्ट मोहन उर्फ मुना को बालू की आराजी में विरासतन हक अधिकार नामान्तरकरण संख्या 15 के द्वारा प्राप्त हुऐ है तथा कोई भी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से ही विरासतन हक, अधिकार प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट ने जब बालू की विरासत में अपना हक, अधिकार प्राप्त कर लिया है तो ऐसे में वह अपने प्राकृतिक पिता की विरासत में हक, अधिकार पाना का अधिकारी नही हो सकता। पक्षकारान के मध्य नियमित वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी भी पक्षकारान के हक, हकूक, अधिकार तय नही होते है उनके हक, हकूक, अधिकार तो नियमित वाद में ही तय होगें। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.10..2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर